



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर

Email: ro.alwar@gmail.com Web: www.environment.rajasthan.gov.in

राप्रनिमं/क्षे.अ./अलवर/ जी-250/ 1194

दिनांक: 20/7/18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक,
दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर कॉरपोरेशन,
कमरा नं० 341-बी, तृतीय तल, होटल अशोक,
डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, 50-बी, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली- 110021

विषय:- पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत जन सुनवाई करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- माननीय जिला कलक्टर, अलवर के पत्रांक सागा./प्रतिनियुक्ति/2018/
22630-35 दिनांक 25/07/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार अलवर जिले में (तहसील तिजारा एवं कोटकासिम), ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास हेतु परियोजना के लिए पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में जन सुनवाई दिनांक 12.09.2018 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- राजकीय प्रवेशिका (माध्यमिक) संस्कृत विद्यालय, लाडपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न प्रारूप में जन सुनवाई हेतु "आम सूचना" एक मुख्य दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 12.08.2018 से पूर्व प्रकाशित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

sc /
(ओ.पी.गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्न को पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) प्रतिवेदन एवं संक्षिप्त कार्यकारी सारांश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर, अलवर
2. सदस्य सचिव, रा. प्र. नि. मं, जयपुर
3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वाँ तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर
5. सचिव, भिवाडी इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट आथोरिटी (BIDA), भिवाडी
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर
7. आयुक्त नगर परिषद, अलवर
8. आयुक्त नगर परिषद, भिवाडी, जिला अलवर
9. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर
10. उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम/तिजारा को सूचनार्थ प्रेषित है।
11. युप प्रभारी, आई. टी. रा. प्र. नि. मं, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जन सुनवाई की सूचना राज्य मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

क्षेत्रीय अधिकारी



राप्रनिमं/क्षे.अ./अलवर/जी-250/

दिनांक:

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉरपोरेशन" द्वारा अलवर जिले में (तहसील तिजारा एवं कोटकासिम), ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास हेतु परियोजना का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि "दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉरपोरेशन" द्वारा अलवर जिले में (तहसील तिजारा एवं कोटकासिम), ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास हेतु परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया है।
3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं 01.12.2009 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है :-
 1. जिला कलक्टर, अलवर
 2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय -4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वें तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
 4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर
 5. सचिव, भिवाडी इन्टीग्रेटेड डवलपमेंट आथोरिटी (BIDA), भिवाडी
 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर
 7. आयुक्त नगर परिषद, अलवर
 8. आयुक्त, नगर परिषद, भिवाडी, जिला अलवर
 9. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर
 10. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, डी - ब्लॉक अम्बेडकर नगर, अलवर

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई दिनांक 12.09.2018 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजकीय प्रवेशिका (माध्यमिक) संस्कृत विद्यालय, लाडपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, डी-ब्लॉक, अम्बेडकर नगर, अलवर में दिये जा सकते हैं।

54
क्षेत्रीय अधिकारी